प्रेस नोट – जनपद बिजनौर दिनांक – 16.09.2024

यातायात पुलिस जनपद बिजनौर द्वारा चेकिंग अभियान के दौरान 03 ऐम्बुलेन्स वाहनों को सीज किया गया ।

कार्यवाही विवरण–

जनपद मे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको के विरूद्ध चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के क्रम में यातायात पुलिस द्वारा थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत नगर बिजनौर में क्रमशः शक्ति चौराहा, जानी चौराहा, जाजी चौराहा व नगर पालिका चौराहा आदि जगहों पर चेकिंग की गई । इस दौरान बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के चल रही 03 ऐम्बुलेन्स को सीज किया गया तथा क्षमता से अधिक सवारी बैठाने व ओवरलोडिंग आदि यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाये जाने पर ई-रिक्शाओं का यातायात नियमों के तहत कुल 80,000/- रूपये का चालान किया गया।

सीज वाहन का विवरण –

1.UP20T-1123
2.HR02M-9243
3.UP21AN-7477

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 16.09.2024**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा गैंगस्टर अधिनियम के आरोपी अभियुक्त को 02 वर्ष के साधारण कारावास व 5,000 /- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 14.09.2007 को अभियुक्तगण शाहनवाज पुत्र शाकिर निवासी ग्राम नींदड़ू थाना धामपुर जनपद बिजनौर आदि कुल 03 नफर के विरुद्ध भौतिक एवं आर्थिक लाभों की पूर्ति के उद्देश्य से गैंग बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त रहने के संबंध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 859/07 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गई एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 16.09.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-VI / गैंगस्टर अधिनियम जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 859/07 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम के आरोपी अभियुक्त शाहनवाज पुत्र शाकिर निवासी ग्राम नींदड़ू थाना धामपुर जनपद बिजनौर को 02 वर्ष के साधारण कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता –

शाहनवाज पुत्र शाकिर निवासी ग्राम नींदड़ू थाना धामपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली देहात दिनांक – 16.09.2024

थाना कोतवाली देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 171/2024 धारा 103(1)/238 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 02.08.2024 को वादी श्री सुखवीर सिंह पुत्र किशन सिंह निवासी ग्राम मानपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी कि दिनांक 01.08.2024 को गांव के ही 1.ब्रह्मपाल पुत्र घसीटा सिंह 2.सुधीर पुत्र ब्रह्मपाल सिंह निवासी ग्राम मानपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर व 3.मोनू (सुधीर का साला) पुत्र नामालूम निवासी ग्राम लल्लावाला थाना नहटौर जनपद बिजनौर वादी के पुत्र मनोज को घर से मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गये थे तथा इनके द्वारा वादी के पुत्र की हत्या कर शव को गायब कर दिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 171/2024 धारा 103(1)/238 बीएनएस बनाम ब्रह्मपाल आदि उपरोक्त कुल 03 नफर पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 16.09.2024 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सुधीर पुत्र ब्रह्मपाल निवासी ग्राम मानपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ में अभियुक्त सुधीर ने बताया कि मनोज हमारे यहां मजदूरी करता था। मेरा व मनोज का खेत आस पास है। दिनांक 01.08.2024 को मै अपनी मोटरसाईकिल से मनोज के घर जाकर उसे लेकर नजीबाबाद बिजली का सामान लेने गया था तथा वहां से नगीना आया था। नगीना से शराब खरीदकर हमने शराब पी तथा गांगन नदी के पास आकर मैरिज हॉल के पास अपनी बाईक खडी कर गागन नदी में नहाने चले गये थे। नहाते समय मनोज डूब गया था। मैं अपनी बाईक लेकर वहाँ से चला आया था। मैंने डर के कारण मनोज के घर पर कुछ नहीं बताया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सुधीर पुत्र ब्रह्मपाल निवासी ग्राम मानपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.निरीक्षक श्री प्रवेश पाठक, अपराध शाखा जनपद बिजनौर

1.उ0नि0 धर्मेन्द्र गिरी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

2.कां0 222 जसवीर सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

3.कां0 2253 उत्तम धामा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली देहात **दिनांक – 16.09.2024**

थाना कोतवाली देहात पुलिस ने 02 अभियुक्तों को जीवित गोवंश, पशु कटान के उपकरण व घटना में प्रयुक्त गाडी सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही –

दिनांक 15.09.2024 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम हाजीपुर नहर पुलिया के निकट अभियुक्तगण 1.नबील पुत्र अनीश 2.तसलीम पुत्र अब्दुल शमी निवासीगण ग्राम अकबराबाद थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को गोवध के उद्देश्य से लाये गये जीवित गोवंश, पशु कटान के उपकरण छुरे, एक लोहे का बांका, एक लकडी का गुटखा, रस्सी के टुकड़े व गाडी (छोटा हाथी) रजि0 नं0 UP20T2046 सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण का एक अन्य साथी अकरम पुत्र काले निवासी ग्राम अकबराबाद थाना कोतवाली जनपद बिजनौर मौका पाकर फरार हो गया। इस सम्बन्ध मे थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 207/2024 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उनका उद्देश्य इस गोवंश को काटने के बाद इसके माँस को गोपनीय तरीके से मौहल्ले में बेचकर पैसा कमाना था। अभियुक्तों ने पूर्व में इस प्रकार की घटना कारित किया जाना स्वीकार किया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.नबील पुत्र अनीश निवासी ग्राम अकबराबाद थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

2.तसलीम पुत्र अब्दुल शमी निवासी ग्राम अकबराबाद थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक जीवित गोवंश

पशु कटान के उपकरण (छुरे, एक लोहे का बांका, एक लकडी का गुटखा, रस्सी के टुकड़े)

गाडी छोटा हाथी रजि0 नं0 UP20T2046

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास –

अभियुक्त नबील उपरोक्त –

1.मु0अ0सं0 207/2024 धारा 3/5/8 गौवध निषेध अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 465/2022 धारा11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा

3.मु0अ0सं0 467/2022 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा

4.मु0अ0सं0 203/2022 धारा 380/511 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

अभियुक्त तसलीम उपरोक्त –

1.मु0अ0सं0 207/2024 धारा 3/5/8 गौवध निषेध अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 105/2021 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 धर्मेन्द्र गिरी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

2.का0 222 जसवीर सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

3.का0 2253 उत्तम धामा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहटौर **दिनांक – 16.09.2024**

थाना नहटौर पुलिस ने अभियुक्त को चोरी किये गए मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार, साथी बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.09.2024 को वादी ने थाना नहटौर पर तहरीर दी कि जब वह फोन से बात करता हुआ कस्बा नहटौर के रूही अस्पताल के पास से जा रहा था तो बाइक सवार दो अज्ञात लडके पीछे से आये तथा वादी से फोन छीनकर भाग गए। तहरीर के आधार पर थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 328/24 धारा 304(2) बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर अभियुक्त रिहान पुत्र इरशाद निवासी ग्राम बैरमपुर खजुरी थाना नहटौर जनपद बिजनौर तथा इसके साथी एक बाल अपचारी का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही विवरण–

आज दिनांक 16.09.2024 को थाना नहटौर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रिहान पुत्र इरशाद निवासी ग्राम बैरमपुर खजुरी थाना नहटौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर साथी बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। इनके कब्जे से उपरोक्त अभियोग से संबंधित छीना गया मोबाइल रियलमी सी-4 व घटना मे प्रयुक्त मोटरसाईकिल स्पेलन्डर रजि0 नं0 UP20CE-2075 को बरामद किया गया । बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2)/3(5) बीएनएस की वृद्धि की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. रिहान पुत्र इरशाद निवासी ग्राम बैरमपुर खजुरी थाना नहटौर जनपद बिजनौर।
2. एक बाल अपचारी

बरामदगी विवरण-

1. छीना गया मोबाईल फोन रियलमी सी-4।
2. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्पेलन्डर रजि0 नं0 UP20CE-2075 ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रिहान उपरोक्त -

1 मु0अ0स0 138/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0स0 328/24 धारा 304(a)/317(2) 3(5) B.N.S थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0 नि0 श्री भारत सिंह थाना नहटौर जनपद बिजनौर
2. उ0 नि0 श्री अशोक मलिक थाना नहटौर जनपद बिजनौर
3. हैड का0 584 संदीप कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर
4. का0 749 राजदीप कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर
5. का0 695 नवीन कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहटौर **दिनांक – 16.09.2024**

थाना नहटौर पुलिस ने मु0अ0सं0 329/24 धारा 74/352/351(3) बीएनएस व 3(2)(5)(क) एससी / एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिंनाक 15.09.2024 को वादी ने थाना नहटौर पर तहरीर दी कि समय करीब 18.00 बजे उसकी बहन अस्पताल से घर वापस आ रही थी । थाना नहटौर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सीकरी से ग्राम गिलाडा रोड पर अभियुक्त इकराम उर्फ भूरा पुत्र खलील कुरैशी निवासी ग्राम बहेडा सादाब थाना ककरोली जनपद मुजफ्फरनगर हाल निवासी ग्राम तरकौला थाना नहटौर जनपद बिजनौर ने मोटर साईकिल पर आकर वादी की बहन के साथ छेडछाड व गाली गलौज की तथा चाकू दिखाकर उसे धमकाया व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया । गाँव के ही अन्य व्यक्ति शोर सुनकर मौके पर आ गये और उनके द्वारा अभियुक्त इकराम उर्फ भूरा उपरोक्त को मौके पर ही पकड लिया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 329/24 धारा 74/352/351(3) बीएनएस व 3(2)(5)(क) एससी / एसटी एक्ट बनाम इकराम उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

थाना नहटौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त इकराम उर्फ भूरा पुत्र खलील कुरैशी निवासी ग्राम तरकौला थाना नहटौर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त चाकू (घरेलू उपयोग वाला) सहित गिरफ्तार किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

इकराम उर्फ भूरा पुत्र खलील कुरैशी निवासी ग्राम तरकौला थाना नहटौर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक चाकू (घरेलु उपयोग वाला)

अभियुक्त इकराम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 329/24 धारा 74/352/351(3) बीएनएस व 3(2)(5)(क) एससी / एसटी एक्ट थाना नहटौर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 224/2024 धारा 3/5क/8 गोवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना नहटौर जनपद बिजनौर

3.मु0अ0सं0 231/2022 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना नहटौर जनपद बिजनौर

4.मु0अ0सं0 30/2020 धारा 307 भादवि थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर

5.मु0अ0सं0 31/2020 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर

6.मु0अ0सं0 32/2020 धारा 3/5क/8 गोवध अधि0 व 5/11 पशु क्रुरुरता अधि0 थाना मीरापुर मुजफ्फरनगर

7.मु0अ0सं0 312/2021 धारा 436 भा0द0वि0 थाना नगीना जनपद बिजनौर

8.मु0अ0सं0 03/2022 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 थाना धामपुर जनपद बिजनौर

9.मु0अ0सं0 228/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर अधि0 थाना धामपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री जितेन्द्र तोमर थाना नहटौर जनपद बिजनौर

2.हे0कां0 792 प्रवीण कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर

3.हो0गा0 1490 बीरबल थाना नहटौर जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 16.09.2024**

जनपदीय पुलिस द्वारा 08 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 08 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	नहटौर	तेजपाल पुत्र डालू सिंह निवासी ग्राम नसीबपुर थाना नहटौर
2	नहटौर	सोहित पुत्र वीरेन्द्र सैनी नि0 मौ0 जोशियान कुडीयोवाल कस्बा व थाना नहटौर
3	नहटौर	राजेन्द्र पुत्र वीरेन्द्र सैनी नि0 मौ0 जोशियान कुडीयोवाल कस्बा व थाना नहटौर
4	अफजलगढ	मौ0 इसरार पुत्र मौ0 मुस्ताक नि0 मौ0 नायक सराय कस्बा व थाना अफजलगढ़
5	बढापुर	नौबहार पुत्र दलीप सिंह निवासी किशनपुर कुण्डा थाना बढापुर
6	बढापुर	जसवन्त पुत्र दलीप सिंह निवासी किशनपुर कुण्डा थाना बढापुर
7	बढापुर	दिग्विजय सिंह उर्फ टिंकु पुत्र जगत सिंह निवासी किशनपुर कुण्डा थाना बढापुर
8	को0 शहर	जावेद पुत्र रशीद निवासी ग्राम हमीदपुर थाना कोतवाली शहर

थाना नहटौर

थाना अफजलगढ

थाना को0 शहर

थाना बढापुर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर **दिनांक – 16.09.2024**

थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 113/24 धारा 366/376 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.03.2024 को वादिनी ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त रिजवान उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 113/24 धारा 366 भादवि पंजीकृत किया गया।

दिनांक 16.04.2024 को स्थानीय पुलिस द्वारा अपहर्ता की बरामदगी की गई तथा पीडिता के बयान एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग मे धारा 376 भादवि की वृद्धि की गई।

कार्यवाही विवरण–

आज दिनांक 16.09.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रिजवान पुत्र ईलियास निवासी मकान नं0 996/73 ए साउथ खाला पार किदवई नगर नूर मस्जिद के पास थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रिजवान पुत्र ईलियास निवासी मकान नं0 996/73 ए साउथ खाला पार किदवई नगर नूर मस्जिद के पास थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
2. का0 1728 अजय ठाकुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर **दिनांक – 16.09.2024**

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 442/2024 धारा 74/78/351(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 15.09.2024 को वादिनी द्वारा अभियुक्त मोहन पुत्र उदयराज सिंह निवासी रफैतपुर हुलास थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर के विरुद्ध मोटरसाइकिल से वादिनी का पीछा करने एवं छेडछाड करने व धमकी देने के सम्बंध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 442/2024 धारा 74/78/351(2) बीएनएस बनाम मोहन उपरोक्त पंजीकृत कराया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 16.09.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त मोहन सिंह पुत्र उदयराज सिंह निवासी रफैतपुर हुलास थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मोहन सिंह पुत्र उदयराज सिंह निवासी रफैतपुर हुलास थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 योगेन्द्र थाना धामपुर जनपद बिजनौर

2.कां0 1936 जयप्रकाश थाना धामपुर जनपद बिजनौर

3.कां0 1045 पवन सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर **दिनांक – 16.09.2024**

थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 326/2024 धारा 115(2) / 118(1) / 109 / 351(2) / 352/190/191(2)/191(3) बी0एन0एस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 08.08.2024 को वादी श्री धीरज निर्वाल पुत्र रमेश चन्द्र निवासी मौ0 अम्बेडकनगर कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना किरतपुर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 08.08.2024 को वादी तथा उसका बडा भाई नीरज निर्वाल अपनी गारमेन्ट्स की दुकान पर बैठा था तभी 1.हेमेन्द्र उर्फ गोपी उर्फ टारजन निवासी मीरपुर 2.मोन्टी निवासी मौ0 नसीरीयान 3.अमित पुत्र योगेन्द्र 4.अरविन्द पुत्र सुम्मेर निवासीगम मौ0 चौधरियान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा वादी व वादी के भाई नीरज निर्वाल के साथ गाली-गलौच करते हुए तथा जान से मारने की नियत से धारदार हथियारों व लोहे की रॉड से मारपीट की, जिससे वादी व वादी के भाई को गम्भीर चोटें आयी। तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 326/2024 धारा 115(2) / 118(1) / 109 / 351(2) / 352 बी0एन0एस बनाम हेमेन्द्र उर्फ गोपी उपरोक्त कुल 04 नफर पंजीकृत किया गया।

अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर अभियुक्तगण 1.सत्यम पुत्र भंवर सिंह निवासी मौ0 जाटान थाना को0शहर बिजनौर 2.अंकुर पुत्र अजेन्द्र निवासी मौ0 प्रेमनगर कस्बा व झालू थाना हल्दौर बिजनौर 3.शेखर पुत्र लाल सिंह उर्फ लल्लू सिंह निवासी गुजरपुरा थाना को0शहर बिजनौर, 4.अनिल पुत्र सुखवीर निवासी मौ0 चौधरियान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर व 5.विशाल पुत्र बिजेन्द्र निवासी सलेमपुर गधेली थाना को0देहात बिजनौर के नाम प्रकाश में आये तथा अभियोग में धारा 190/191(2)/191(3) बीएनएस की वृद्धि की गई।

कार्यवाही –

आज दिनांक 16.09.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण विशाल पुत्र बिजेन्द्र निवासी सलेमपुर गधेली थाना को0 देहात बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नोट- स्थानीय पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण अमित, अंकुर, अनिल व सत्यम उपरोक्त को पूर्व मे ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्तगण मोन्टी व अरविन्द उपरोक्त दिनांक 21.08.2024 को माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर चुके है तथा अभियुक्त हेमेन्द्र उपरोक्त थाना चांदपुर पर पंजीकृत अभियोग में पूर्व से ही जेल में निरूद्ध है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विशाल पुत्र बिजेन्द्र निवासी सलेमपुर गधेली थाना को0 देहात बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. श्री जयभगवान सिंह प्रभारी निरीक्षक किरतपुर।
2. उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
3. का0 689 गौरव तेवतिया थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 16.09.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की गयी ब्रेजा गाडी व मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार । अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अन्य I-20 गाडी व मोबाइल फोन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 05.09.2024 को थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत बिजनौर-नजीबाबाद रोड पर करन हॉस्पिटल के सामने से अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी श्री सचिन कुमार पुत्र श्री उदयवीर सिंह निवासी मौहल्ला आदर्श नगर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर की गाडी मारुति ब्रेजा रजि0 नं0 UP13BM5584 को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 863/2024 धारा 303(2) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 14.08.2024 को थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत रोडवेज बस स्टैण्ड के पश्चिमी गेट के पास से अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी श्री सरफराज खान पुत्र श्री अशरफ निवासी 210 बी – 10 मौ0 मिर्दगान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर की मोटर साईकिल स्पलेन्डर रजि0नं0 UP20M0698 को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 782/2024 धारा 303(2) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

दिनांक 15.09.2024 की रात्रि में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त गुलाम मुस्तफा पुत्र श्री अय्युब निवासी MGI स्कूल शतपुरा/बगराऊआ हॉल निवासी गूलर चौराहा कुन्दरकी थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद को चोरी की गयी ब्रेजा गाडी रजि0नं0 UP13BM5584 के साथ गिरफ्तार किया गया । बरामद गाडी ब्रेजा पर गलत रजि0नं0 DL12CL2274 पडा हुआ था । बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2)/336(2)/347(1) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी । पूछताछ में अभियुक्त की निशादेही पर चोरी की गयी एक मोटर साईकिल स्पलेण्डर UP20M0698 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 782/2024 धारा 303(2) बी0एस0एस0) बरामद की गयी व घटना में प्रयुक्त I-20 गाडी रजि0नं0 UP13S8171 रंग नीला बरामद की गयी। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) की वृद्धि की गयी तथा I-20 गाडी को नियमानुसार धारा 207 एमवी एक्ट में सीज की गयी। साक्ष्य संकलन व बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोगो में दो अन्य अभियुक्त 1.बाबा व 2.भाई साहब के नाम प्रकाश में आये है, जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

गुलाम मुस्तफा पुत्र श्री अय्युब निवासी MGI स्कूल शतपुरा/बगराऊआ हाल निवासी गूलर चौराहा कुन्दरकी थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद

बरामदगी का विवरण –

गाडी ब्रेजा रजि0नं0 UP13BM5584

मोटर साईकिल स्पलेण्डर रजि0नं0 UP20M0698

गाडी I-20 रजि0नं0 UP13S8171 रंग नीला सीज शुदा अन्तर्गत धारा 207 एमवी0एक्ट

एक मोबाइल फोन OPPO

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 मृदुल कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 राजीव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3.हे0कां0 773 अरूण कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

4.कां0 1084 मोहित कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

5.कां0 2167 अरूण कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

6.कां0 2502 विशाल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

7.कां0 1198 सन्दीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

8.कां0 2510 विजय थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ **दिनांक – 16.09.2024**

थाना अफजलगढ पुलिस ने मु0अ0सं0 131/24 धारा 363/376(3) भादवि व 3/4 (2) पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.04.2024 को वादी द्वारा थाना अफजलगढ पर तहरीर दी गयी कि वादी की नाबालिग पुत्री (उम्र 16 वर्ष) बैंक में पासबुक लेने गयी थी, जो घर वापस नही आयी तथा काफी तलाश करने पर भी कुछ पता नही चल सका। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ़ पर मु0अ0सं0 131/2024 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्त अरविन्द पुत्र सुशील निवासी ग्राम रजकल्लापुर थाना पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर का नाम प्रकाश में आया। दिनांक 15.09.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अभियोग से सम्बंधित अपहृता को बरामद किया गया। अभियोग में धारा 376(3) भादवि व 3/4 (2) पॉक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

आज दिनांक 16.09.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अरविन्द पुत्र सुशील निवासी ग्राम रजकल्लापुर थाना पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अरविन्द पुत्र सुशील निवासी ग्राम रजकल्लापुर थाना पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.थानाध्यक्ष श्री योगेश कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

2.कां0 2118 अभिषेक ढाका थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावर दिनांक – 16.09.2024

थाना मंडावर पुलिस ने जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण –

आज दिनांक 16.09.2024 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर जिलाबदर अभियुक्त चंद्रशेखर उर्फ शेखर पुत्र गजेन्द्र निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर को जिलाबदर की अवधि की दौरान जनपद की सीमा में पाये जाने पर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त चंद्रशेखर को दिनांक 25.04.2024 को अपर जिला मजिस्ट्रेट, जनपद बिजनौर के आदेशानुसार जिलाबदर किया गया था । इस सम्बंध में थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 249/2024 धारा 10 गुण्डा अधि0 बनाम चंद्रशेखर उर्फ शेखर उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

चंद्रशेखर उर्फ शेखर पुत्र गजेन्द्र निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास –

चंद्रशेखर उर्फ शेखर पुत्र गजेन्द्र निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर

1. मु0अ0सं0 436/15 धारा 323/325/324/504/506 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 616/16 धारा 324/504/506 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 131/19 धारा 323/34 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 308/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मंडावर जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 113/21 धारा 323/504 भादवि 3(1)(द)ध एससी/एसटी एक्ट थाना मंडावर जनपद बिजनौर
6. मु0अ0सं0 18/22 धारा 171 एच /188 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर
7. मु0अ0सं0 19/22 धारा 188/269/270/290 भादवि 3/4 महामारी अधि0 थाना मंडावर जनपद बिजनौर
8. मु0अ0सं0 44/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मंडावर जनपद बिजनौर
9. मु0अ0सं0 244/22 धारा 323/325/504/506 भादवि 3(1)(द)ध एससी/एसटी एक्ट थाना मंडावर बिजनौर
10. मु0अ0सं0 294/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर
11. मु0अ0सं0 249/24 धारा 10 गुण्डा अधि0 थाना मंडावर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर
2. कां0 1181 हरेन्द्र थाना मंडावर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद **दिनांक – 16.09.2024**

थाना नजीबाबाद पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही विवरण–

जनपद मे अवैध शस्त्रो के निर्माण/बिक्री/परिवहन व अपने साथ अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त प्रिंस राठी पुत्र विवेक राठी निवासी ग्राम श्रवणपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 465/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

प्रिंस राठी पुत्र विवेक राठी निवासी ग्राम श्रवणपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 सौरभ सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. हे0का0 453 नेत्रपाल राठी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3. का0 1159 रोहित कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
4. का0 2470 शिवकुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर